राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010
दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail.nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

मा0 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण / समयबद्ध / अति महत्वपूर्ण / आज ही

पत्रांकः– 876 / 241 / NULM / तीन / 2001(SUH)-Vol-II दिनांक 05.01.2018

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,** डूडा, उ0प्र0
2. **समस्त सी0पी0ओ0 / परियोजना निदेशक,** सी0एम0एम0यू0, डूडा, उ0प्र0
3. **समस्त नगर आयुक्त,** नगर निगम, उ0प्र0
4. **समस्त अधिशासी अधिकारी,** न0पा0प0 / नगर पंचायत

विषय : रिट याचिका सिविल सं0–55 / 2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेशों के अनुपालन में समस्त नगर निकायों मे आवश्यक मूलभूत सुविधाओं सहित अस्थाई शेल्टर होम की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया / महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–1985 / 69–1–17–11(रिट) / 14टी0सी0 दिनांक 20.12.2017 एवं इस कार्यालय के पत्र सं0– 1404 / कैम्प / नि0सूडा / 2017 दिनांक 21.12.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से समस्त नगरीय निकायों मे तीन राउन्ड मे दिनांक 21.12.2017, 23.12.2017 एवं 26.12.2017 को शहरी बेघरों का सर्वेक्षण कराया गया था।

उल्लेखनीय है कि शहरों से प्राप्त शहरी बेघरों के सर्वेक्षण एवं अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता मे दिनांक 04.01.2018 को आयोजित बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये है कि सभी नगरीय निकायों में सर्वेक्षण में पाये गये शहरी बेघरों हेतु पूर्व से उपलब्ध संचालित स्थाई व अस्थाई शेल्टर होम के अतिरिक्त आवश्यकता के अनुसार तत्काल आवश्यक मूलभूत सुविधाओं सहित अस्थाई शेल्टर होम की सुविधा प्राथमिकता के आधार पर नगरीय निकायों द्वारा उपलब्ध करा दी जाये।

अस्थाई शेल्टर होम की सुविधा शहर मे चिन्हित अनुपयोगी स्कूल भवन एवं अन्य सरकारी भवनो के साथ ही विगत वर्षो मे सूडा / डूडा / स्थानीय निकाय द्वारा निर्मित कराये गये सामुदायिक केन्द्रों (चिन्हित अनुपयोगी सामुदायिक केन्दों) में उपलब्ध कमरों / हॉलों एवं साइज के अनुसार 25 से 50 शहरी बेघरों हेतु ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। उक्त भवन के बाहर अस्थाई शेल्टर होम का साइन बोर्ड जिसमे लोकेशन आदि का विवरण भी अंकित हो लगाया जाये। इसके साथ ही साथ अस्थाई शेल्टर होम में शहरी बेघरों के रात्रि निवास हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार कर शहर के सभी बेघरों को शेल्टर होम में रात्रि विश्राम कराया जाये। शहर मे कोई भी शहरी बेघर खुले मे न सोए इसके लिए सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि शहर मे उपरोक्तानुसार अस्थाई शेल्टर होम की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या जिसमे अस्थाई शेल्टर होम

की लोकेशन क्षमता एवं फोटोग्राफ सहित इस कार्यालय को ई–मेल suhnulmup@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुक्रम में कार्यवाही करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय

04/01/19

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के अवगतार्थ।
2. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, 8वां तल इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त आशय का निर्देश अपने स्तर से निर्गत करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
4. समस्त परियोजना अधिकारी डूडा को समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
5. वेबमास्टर, सूडा को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
मिशन निदेशक